भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1688

गुरुवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक)

रोजगार एवं नौकरी सृजन

1688. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बेरोजगारी**,** विशेषकर युवाओं और महिलाओं के बीच बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं**;**

(ख) वर्तमान आर्थिक माहौल में मनरेगा और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जैसी रोजगार सृजन योजनाओं की प्रभावशीलता का ब्यौरा और अद्यतन स्थिति क्या है**;** और

(ग) क्या सरकार स्वचालन और डिजिटलीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन करने की योजना बना रही है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने युवाओं एवं महिलाओं सहित देश में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि जैसी विभिन्न पहल/उपाय किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार महिलाओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं हेतु अवसरों को बढ़ावा देना) आदि जैसी महिला केंद्रित योजनाएं भी कार्यान्वित कर रही है।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण हेतु श्रम कानूनों में सवैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, समान मजदूरी आदि जैसे अनेक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी किया है। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संबंधी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों। यह ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा अर्थात जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है तो आजीविका के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करता है। इस योजना के तहत पिछले पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (05.03.2025 तक) के दौरान, 1890.88 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए।

नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) 1.4.2016 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रतिष्ठानों के माध्यम से, लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक यानि दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहा। इस योजना के तहत, 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नैसकॉम के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचर स्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में नियोजनीयता के लिए आईटी कार्मिकों का रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग करना है।

नैसकॉम की अगस्त 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट "एडवांसिंग इंडियाज एआई स्किल्स" के अनुसार, भारत में एआई प्रतिभा के वर्ष 2022- 27 तक 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से 6 लाख - 6.5 लाख पेशेवरों से बढ़कर 12.50 लाख से अधिक पेशेवरों तक बढ़ने की उम्मीद है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से डेटा साइंस, डेटा क्यूरेशन आदि जैसे विभिन्न विषयों में रोजगार सृजन होगा। अब तक, एआई/बिग डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों में 3.20 लाख अभ्यर्थियों सहित 8.65 लाख अभ्यर्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला/प्रशिक्षण लिया है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने "नेशनल एआई पोर्टल" (https://indiaai.gov.in/) आरंभ किया है, जो एआई से संबंधित पहलों, अकादमिक शोध, स्टार्टअप, नीति विकास और थॉट लीडरशिप संबंधी लेखों के व्यापक संग्रह के रूप में कार्य करता है। पोर्टल नैतिक एआई, तकनीकी प्रगति और उद्योगों के रुझान जैसे विषयों को कवर करने वाले वेबिनार और ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करता है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****